न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट चूरू

पीठासीन अधिकारी लोकेश कुमार गौतम (आर.ए.एस)

इस्तगासा संख्या 2020/00076 **दायर दिनांक 07.09.2020**

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक चूरू जिला चूरु (राजस्थान) —सायल—

बनाम

नरेश पुत्र सांवरमल जाति जोगी उम्र 35 साल निवासी वार्ड नम्बर 31 ओम कॉलोनी चूरू पुलिस थाना सदर चूरू जिला चूरू। —गैरसायल—

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राज. गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1975

उपस्थित :—

1. **अभियोजन अधिकारी (पैरोकार राज.) वास्ते सायल**

निर्णय **दिनांक : 11.02.2022**

यह इस्तगासा पुलिस अधीक्षक चूरू द्वारा प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय में जिला मजिस्ट्रेट चूरु से स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज ऑनलाईन किया गया। इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है गैरसायल नरेश पुत्र सांवरमल जाति जोगी उम्र 35 साल निवासी वार्ड नम्बर 31 ओम कॉलोनी चूरू पुलिस थाना सदर चूरू जिला चूरू का रहने वाला है, जो अवैध शराब बिक्री व जुआ खेलने का आदि एवं आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, जो बार—बार अवैध शराब बिक्री व जुआ के कारण अपराध कारित करता आ रहा है। जिससे समाज में लगातार अनेक अपराधों को बढ़ावा मिल रहा हैं। गैरसायल के उक्त कृत्य पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। गैरसायल के विरूद्ध निम्नांकित मुकदमें दर्ज होकर सजायाब हुआ है :—

क.स.	मुकदमा संख्या, दिनांक व धारा	पुलिस थाना	नतीजा पुलिस	नतीजा न्यायालय
1.	313 दिनांक 07.09.2010 धारा 341, 323, 34 भादसं	कोतवाली चूरू	चालान	जैर तजबीज कोर्ट
2.	213 दिनांक 10.07.2011 धारा 341, 323, 34 भादसं	कोतवाली चूरू	चालान	जैर तजबीज कोर्ट
3.	09 दिनांक 27.01.2012 धारा 448,382,341,323, 143 भादसं	सदर चूरू	चालान	दोषमुक्त
4.	11 दिनांक 27.01.2012 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट	सदर चूरू	चालान	सजा
5.	270 दिनांक 18.11.2012 धारा 332,353,34 भादसं	कोतवाली चूरू	चालान	जैर तजबीज कोर्ट
6.	71 दिनांक 01.08.2013 धारा 13 आरपीजीओ	सदर चूरू	चालान	सजा
7.	20 दिनांक 13.03.2014 धारा 13 आरपीजीओ	सदर चूरू	चालान	सजा
8.	64 दिनांक 11.08.2014 धारा 452,323,143 भादसं	कोतवाली चूरू	चालान	राजीनामा
9.	324 दिनांक 02.09.2014 धारा 341,323,325,34 भादसं	कोतवाली चूरू	चालान	जैर तजबीज कोर्ट
10.	274 दिनांक 15.09.2015 धारा 341,323,34 भादसं	कोतवाली चूरू	चालान	जैर तजबीज कोर्ट
11.	81 दिनांक 05.11.2015 धारा 13 आरपीजीओ	सदर चूरू	चालान	सजा
12.	102 दिनांक 08.05.2016 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम	सदर चूरू	चालान	जैर तजबीज कोर्ट
13.	117 दिनांक 23.12.2018 धारा 341,323,324,34 भादसं	सदर चूरू	चालान	जैर तजबीज कोर्ट
14.	37 दिनांक 04.05.2020 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम	सदर चूरू	चालान	जैर तजबीज कोर्ट

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

अतः इस्तगासा विरुद्ध नरेश पुत्र सांवरमल जाति जोगी उम्र 35 साल निवासी वार्ड नम्बर 31 ओम कॉलोनी चूरू पुलिस थाना सदर चूरू जिला चूरू को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही फरमाने का आदेश फरमावें।

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामिल होने के उपरान्त गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री भंवर सिंह राठौड़ ने वकालतनामा पेश किया किन्तु प्रकरण में ना तो जवाब पेश किया ना ही उपस्थित आये। इसलिए गैरसायल के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी चूरू ने उपस्थित होकर अपनी बहस में कहा कि इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध 14 मुकदमें भादसं, 4/25 आर्म्स एक्ट, 13 आरपीजीओ तथा 19/54 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत दोष प्रमाणित है। गैरसायल अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की परिभाषा में आता है। गैर सायल अपराधी गतिविधियों में भाग लेता है इसलिए गैरसायल को जिले से बाहर निष्कासित किया जावें ताकि समाज में शांति व्यवस्था कायम रह सके।

पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी चूरू की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भली–भान्ति अवलोकन किया गया। इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध 08 मुकदमें भादसं में दिनांक 07.09.2010, 10.07.2011, 27.01.2012, 18.11.2012, 11.08.2014, 02.09.2014, 15.09.2015, 23.12.2018 व 01 मुकदमा 4/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 27.01.2012 व 03 मुकदमें 13 आर.पी.जी.ओ. में दिनांक 01.08.2013, 13.03.2014, 05.11.2015 तथा 02 मुकदमें 19/54 आबकारी अधिनियम में दिनांक 08.05.2016 व 04.05.2020 के अनुसार प्रमाणित है। इस प्रकार राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा (3)(3) के अन्तर्गत गैरसायल गुण्डा की परिधि में आता है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चूरु द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा धारा 3 राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम, 1975 विरूद्ध गैरसायल नरेश पुत्र सांवरमल जाति जोगी उम्र 35 साल निवासी वार्ड नम्बर 31 ओम कॉलोनी चूरू पुलिस थाना सदर चूरू जिला चूरू स्वीकार किया जाता है तथा गैरसायल नरेश पुत्र सांवरमल जाति जोगी उम्र 35 साल निवासी वार्ड नम्बर 31 ओम कॉलोनी चूरू पुलिस थाना सदर चूरू जिला चूरू को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत 01 माह के लिए थाना क्षेत्र से बाहर निर्वासित किया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना सदर चूरू गैरसायल नरेश को थानाधिकारी पुलिस थाना रतननगर को सुपुर्द करेंगे जो कि थानाधिकारी पुलिस थाना रतननगर की देखरेख में 01 माह के लिए रहेगा एवं प्रत्येक सोमवार को थानाधिकारी थाना रतननगर में हाजरी देने हेतु उपस्थित होगा। निर्णय की प्रति पालना हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना सदर चूरू व थानाधिकारी पुलिस थाना रतननगर तथा पुलिस अधीक्षक चूरू को भेजी जावें। पत्रावली बाद कार्यवाही अभिलेखागार भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/2

(लोकेश कुमार गौतम)
अति0 जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, चूरू

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू